भारत सरकार

जल संसाधन मंत्रालय

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1069

जिसका उत्‍तर 3 दिसम्‍बर, 2012 को दिया जाना है ।

**.....**

**भू-जल का संरक्षण**

**1069. श्री ईश्‍वर सिंह :**

क्‍या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्‍या सरकार द्वारा विभिन्‍न राज्‍यों में भू-जल के संरक्षण के लिए तैयार की गई योजनाओं के वांछित परिणाम प्राप्‍त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;

(ग) क्‍या सरकार ने भू-जल के संरक्षण के लिए कोई लक्ष्‍य निर्धारित किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और

(ड.) भू-जल के अंधाधुंध इस्‍तेमाल पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं बनायी गई हैं ?

**उत्तर**

**जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत)**

(क) और (ख) जी, हॉं । केन्‍द्र सरकार ने जल, विविधता, कृषि पद्धतियों के बीच सामंजस्‍य बनाकर लब्धि एवं जल की प्रति बूंद आय में वृद्धि दर्शाने के लिए कृषि विश्‍वविद्यालयों, आईसीएआर अनुसंधान संस्‍थानों अर्द्ध-शुष्‍क कटिबंधों के लिए अंतर्राष्‍ट्रीय फसल अनुसंधान संस्‍थान ओर जल एवं भूमि प्रबंधन संस्‍थानों (डब्‍ल्‍यूएएलएमआई) की सहायता से पूरे देश में किसान सहभागिता कार्रवाई अनुसंधान कार्यक्रम (एफपीएआरपी) का कार्यान्‍वयन किया है । जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत केन्‍द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्‍ल्‍यूबी) देश में वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी प्रायोगिक/प्रदर्शनात्‍मक परियोजनाएं भी कार्यान्वित की हैं, जिनके परिणाम उत्‍साहवर्धक रहे हैं ।

(ग) एवं (घ) केन्‍द्रीय भूमि जल बोर्ड ने राज्‍य सरकारों के साथ परामर्श से देश में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु एक मास्‍टर योजना तैयार की है । यह अनुमान किया गया है कि भूजल संसाधनों के संवर्धन के लिए वार्षिक रूप से लगभग 85,565 मिलियन घन मीटर (एमसीएम) जल का पुनर्भरण किया जा सकता है ।

(ड.) सीजीडब्‍ल्‍यूबी ने भूजल के अंधाधुंध अन्‍वेषण पर रोक लगाने के लिए निम्‍न उपाय भी किए हैं :

* भूजल विकास एवं प्रबंधन के विनियमन के लिए केन्‍द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्‍ल्‍यूए) द्वारा देश में 162 क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है ।
* स्‍थल विशेष तकनीकी अध्‍ययनों और अर्द्ध-गंभीर क्षेत्रों में पड़ने वाले नए उद्योगों/परियोजनाओं के लिए भूजल की निकासी हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सीजीडब्‍ल्‍यूए द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर प्रस्‍तावों का मूल्‍यांकन ।
* केन्‍द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा देश में अति-दोहित और गंभीर क्षेत्रों में भूजल का उपयोग करने वाले बडें और मध्‍यम उद्योगों (जलग्रस्‍त क्षेत्रों में स्थित उद्योगों को छोड़कर) भूजल के पुनर्भरण/वर्षा जल संचयन सहित जल संरक्षण उपाय करने और उनके भवनों में अपशिष्‍ट जल के परिशोधन, पुनर्चक्रण एवं पुन:उपयोग की पद्धतियां अपनाने के लिए निर्देश जारी करना ।

\*\*\*\*\*